

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-2302/2016

सुरेश चन्द हरिजन

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 31.07.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.एल. कुमावत, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

इस अपील में यह तथ्य अंकित है कि अपीलार्थी की नियुक्ति पशुपालन विभाग में सईस के पद पर हुई थी। अपीलार्थी ने इस अपील के माध्यम से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति किये जाने की प्रार्थना की है। इस अधिकरण द्वारा पूर्व में अपील संख्या 2446/2016 एवं 2447/2016 में पारित आदेश दिनांक 05.05.2022 के द्वारा अपीलार्थी के समान मामले को उक्त प्रकरणों में अपीलार्थी को पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी होना माना है।

अपीलार्थी का मामला उक्त निर्णित अपीलों से भिन्न नहीं है। अतः उक्त निर्णित अपीलों को देखते हुए इस अपील में भी कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)